न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
045/2018 (GCMS 2018/00216)	06.09.2018	17.02.2021

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

विनोद कुमार जैन पुत्र रतनलाल (विकेता/मालिक) मो.न. 9414109111 मैसर्स आदिनाथ गोंद भण्डार, कालिका बाजार के पास बूंदी रोड़ चित्तौड़गढ़ निवासी 10/11, महाराणा प्रताप सेतु मार्ग, रिद्धी–सिद्धी नगर, वित्तौड़गढ (राज.)

अप्रार्थी

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण संख्या का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र सिंह राणावत ने विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.12.2017 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहे थे, और इनको राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **FH/PFA/Notification/2011/440 Dated 25-07-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था। और जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। गजट नोटिफिकेशन, अधिसूचना एवं आदेश की सत्यापित छाया प्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.12.2017 को समय 03.10 पीएम पर मैसर्स आदिनाथ गोंद भण्डार कालिका बाजार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:10 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पास बूंदी रोड़ तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ पर पहुँचा। वहां पर विनोद कुमार जैन पुत्र रतनलाल (विकेता/मालिक) उक्त फर्म में विक्रेता/मालिक की हैसियत से खाद्य पदार्थ काजु (साबुत) (**Loose**), व अन्य किराणा सामान आदि आम जनता को विक्रय हेतु कर रहे थे एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर विक्रेता द्वारा वर्ष 2017 का खाद्य लाईसेन्स प्रस्तुत किया गया जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न हैं। मौके पर गवाहान महेन्द्र सिंह एवं प्रहलाद कुमावत की उपस्थिति में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय पत्र विक्रेता विनोद कुमार जैन पुत्र रतनलाल को दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर मौके पर एक प्लास्टिक कट्टे में लगभग 15 किलो काजु (साबुत) (**Loose**) विक्रय हेतु रखा पाया व आम जनता को उपभोग एवं विक्रय हेतु रखा गया हैं एवं विक्रय किया जा रहा हैं। मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ काजु (साबुत) (**Loose**) का नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु तेने की सूचना फार्म नम्बर **V A** की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्लास्टिक कट्टे में रखे काजु (साबुत) (**Loose**) में से एक किलोग्राम काजु (साबुत) (**Loose**) वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 850/– नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तरदीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीद शुदा काजु (साबुत) (**Loose**) को बार बराबर–बराबर भागों में बाटकर चार प्लास्टिक के जारों में अलग–अलग भरकर प्रत्येक जार में ढक्कन लगाकर अच्छी तरह एयर टाईट बन्द किया। उक्त नमुना भागो हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहान व व्यापारी ने हस्ताक्षर किये थे। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागजों में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-907** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। एक सील नमूना भाग के सीरे पर एक पेंदे पर एवं दाई और एवं एक बाई और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमुनों पर गवाहान के हस्ताक्षर कराकर नमुने का पुर्ण विवरण लिखकर आवेदक खाद्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:10 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सुरक्षा द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। विक्रेत्ता को उक्त नमुने के एक भाग (चौथा भाग) को एक्रीएटेड लैब मे जॉच कराने की जानकारी मौके पर ही आवेदक खाद्य सुरक्षा द्वारा दे दी गई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हरताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सील चपड़ी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 5 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य विशलेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग-अलग रसीद प्राप्त की गई जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/113 दिनांक 05.01.2018 द्वारा ज्ञात हुआ कि मेरे द्वारा उक्त काजु (साबुत) (**Loose**) का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था जो कि सब स्टेन्डर्ड होना पाया गया था जाँच रिर्पोट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। मैसर्स आदिनाथ गोंद भण्डार को प्राप्त जांच रिपोर्ट की एक प्रति रजिस्टर्ड पत्र से प्रेषित की गई, जो कि मय मूल पोस्टल रसीद संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक 113 दिनांक 05.01.2018 की पालना में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/3672 दिनांक 30.08.2018 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में अभियुक्त ने काजु (साबुत) (**Loose**) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (**II**) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:10 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित हैं। अतं में प्रार्थना की गई कि आवेदन न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत है कि उक्त अभियुक्तों को दण्डित करावें।

इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 13.12.2018 को अप्रार्थी स्वयं हाजिर आया। दिनांक 17.02.2021 को अप्रार्थी के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली को गुणावगुण पर निर्णय हेतु रखा गया एवं पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का मनन किया। उक्त प्रश्नगत खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने की सूचना निर्धारित प्रारूप में फार्म नंबर **V-A** में विपक्षी को दी गई है जिसकी पुष्टि फार्म नंबर **V-A** से होती हैं। उस पर विपक्षी के हस्ताक्षर अंकित है। नमूना खरीद बिल/कैश मेमों पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर विक्रेता के रूप में अंकित हैं इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ अप्रार्थी से क्रय किया गया है। फर्द रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त फर्द रिपोर्ट मौके पर दिनांक 09.10.2015 को बनाई गई है उस पर विपक्षी के हस्ताक्षर अंकित हैं। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला से रिपोर्ट संख्या **LS 661/Act/2017/678** दिनांक 18.12.2017 प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त रिपोर्ट विपक्षी को प्रेषित की गई हैं। विपक्षी न्यायालय में उपस्थित हुया लेकिन परिवाद का किसी भी प्रकार से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। एवं दिनांक 17.02.2021 को विपक्षी के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाने से परिवाद का खंडन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतुस्त दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट है, एवं प्रकरण की भी किसी प्रकार से अतिरिक्त शहादत की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। हमने खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:10 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Report No LS 661/ Act/2017/678
Certifed that I PANKAJ KUMAR duly appointed as under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for RAJASTHAN STATE received from Sh. Devendra Singh Ranawat Food Safety Officer District Chittorgarh, a sample of Kaju bearing code no and serial.no, AN-907 of Designated officer (Food Safety) Cum CM.&IO, of District Chittorgarh on 04.12.2017 for analysis.
The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows Brass Seal No 62 Intact and unbroken. The seals fixed on the container and outer cover tallied with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum , in scaled envelope.
I found the sample to be Vegetable & dry fruit products falling under Regulation No. 2.3.47.5 (Kaju) of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analyzed on 18.12.2017 and the result of its analysis is given below-
ANALYSIS REPORT---
(i) Sample description:- The Sample contained in a wide mouth pet jar screwed with lid.
(ii) Physical appearance:- White in color kaju with off flavor.
(iii) Label : -- Loose Sample of Kaju.
Opinion:- The sample of Kaju Bearing code no, and serial no. AM- 907 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh Is sub-standard as Acidity of ext. fat expressed as oleic acid is does not meet as per the prescribed standards & Provisions as per Food Safety and Standards(food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety and Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप **AM-907** उक्त खाद्य खाद्य पदार्थ काजु (साबुत) (**Loose**) एफ.एस.एस.ए. की धारा **3(1)(zx)** का उल्लघंन करने के कारण अवमानक (**Sub-Standard**) का पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्त ने सब स्टेन्डर्ड काजु (साबुत) (**Loose**) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा पदार्थ एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लंघन किया है। इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:10 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को सब स्टेन्डर्ड काजु (साबुत) (**Loose**) का विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है एवं अप्रार्थी विनोद कुमार जैन पुत्र रतनलाल (विकेता/मालिक) मैसर्स आदिनाथ गोंद भण्डार, कालिका बाजार के पास बूंदी रोड़ चित्तौड़गढ़ निवासी 10/11, महाराणा प्रताप सेतु मार्ग, रिद्धी-सिद्धी नगर, वित्तौड़गढ (राज.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत उक्त दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 51 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान दिये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 51 के अनुसार-

49. General provisions relating to penalty.
While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
(c) The repetitive nature of the contravention,
(d) Whether the contravention is without his knowledge, and
(e) Any other relevant factor,

51. Penalty for sub-standard food.
Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees.

अधिनियम की धारा 49 एवं 51 में उक्त व्यवस्था की गई है, ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:10 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्तगण श्री विनोद कुमार जैन पुत्र रतनलाल (विक्रेता/मालिक) मैसर्स आदिनाथ गोंद भण्डार, कालिका बाजार के पास बूंदी रोड़ चित्तौड़गढ़ निवासी 10/11, महाराणा प्रताप सेतु मार्ग, रिद्धी–सिद्धी नगर, चित्तौड़गढ (राज.) को की दोषी सिद्धि होने से अभियुक्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन करने से अभियुक्त श्री विनोद कुमार जैन पुत्र रतनलाल (विक्रेता/मालिक) मैसर्स आदिनाथ गोंद भण्डार, कालिका बाजार के पास बूंदी रोड़ चित्तौड़गढ़ निवासी 10/11, महाराणा प्रताप सेतु मार्ग, रिद्धी–सिद्धी नगर, वित्तौड़गढ (राज.) को 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 17.02.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:10 IST
Reason: SelfAttested